रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112026-277752
CG-DL-E-12112026-277752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5842] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 5842] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

मंत्रिमंडल सचिवालय, सेवा तीर्थ

(लॉजिस्टिक प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

का.आ. 6074(अ).— केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 06.10.2026 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) अर्थात् एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण (आईटीएलए) स्थापित करने हेतु प्रदान किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) पर सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) को अधिसूचना सं. एल-18012/29/2026/लॉजिस्टिक प्रभाग (ई-238385), दिनांक 30.10.2026 **(अनुबंध-क में संलग्न)** के तहत एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक तथा पीएमजीएस-एनएमपी के लिए ईजीओएस के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

[फा. सं. एल-18012/29/2026/लॉजिस्टिक प्रभाग (ई-238385)]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT, SEVA TEERTH

(Logistics Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

S.O. 6074(E).— Consequent upon approval of the Union Cabinet on 06.10.2026 to set up a Special Purpose Vehicle (SPV), namely, Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA), under Section 8 of the Companies Act, 2013, it is hereby notified that the Empowered Group of Secretaries (EGoS) on PM GatiShakti National Master Plan (PMGS NMP) has been reconstituted as EGoS for Integrated Transport & Logistics and PMGS NMP vide Notification No. L-18012/29/2026/Logistics Division (E-238385) dated 30.10.2026 (**enclosed at Annexure-A).**

[F. No. L-18012/29/2026/Logistics Division (E-238385)]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2026

का.आ. 6075(अ).— राजपत्र अधिसूचना संख्या पी-37022/3/2020-आईसी, दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 के अधिक्रमण में और भारत सरकार द्वारा विशेष प्रयोजन माध्यम अर्थात एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (आईटीएलए) की स्थापना हेतु प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसरण में, एतद्वारा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाता है और ईजीओएस का पुनर्गठन किया जाता है।

2. ईजीओएस की संशोधित संरचना निम्नानुसार है:

1.	मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
2.	सचिव, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स आयोजना	सदस्य
3.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
4.	सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
8.	सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
9.	सचिव, शहरी विकास विभाग	सदस्य
10	सचिव परिवहन और लॉजिस्टिक्स आयोजना कार्यालय में अपर सचिव/संयुक्त सचिव	सदस्य संयोजक

3. अध्यक्ष, आवश्यकतानुसार ईजीओएस की बैठक में किसी अन्य अधिकारी/विशेषज्ञ का सहयोजन कर सकते है/आमंत्रित कर सकते हैं।

4. ईजीओएस के लिए संशोधित विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्नानुसार हैं:

(क) एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (आईटीएलए) से संबंधित:

(i) आईटीएलए की स्थापना और एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स आयोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करना;

(ii) राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान (एनटीएमपी) की स्वीकृति और उसमें परिवर्तन/संशोधन;

(iii) एनटीएमपी और क्षेत्रगत योजनाओं से संबंधित आईटीएलए की सिफारिशों के संबंध में मंत्रालयों और आईटीएलए के बीच यदि कोई असहमति हो, तो उसके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना;

(iv) आईटीएलए के प्रभावी संचालन और आईटीएलए की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, आईटीएलए की संरचना और भूमिका सहित, स्पष्टीकरण या संशोधन जारी करना।

(V) आईटीएलए के संस्था के बहिर्नियम (एमओए) और संस्था के अंतर्नियम (एओए) का अनुमोदन।

(ख) पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) से संबंधित:

(i) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना ताकि उससे प्राप्त होने वाली लॉजिस्टिक्स दक्षता का पता लगाया जा सके;

(ii) योजना में किसी भी संशोधन को करने के लिए फ्रेमवर्क और मानदंड अपनाना;

(iii) योजना में पहले से शामिल परियोजनाओं में निर्धारित फ्रेमवर्क और मानदंडों के भीतर परिवर्तनों का समन्वय करना;

(iv) पायलट आधार पर अवसंरचना के विकास के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के तहत सड़कों, रेल आदि के निर्माण के साथ-साथ सभी उपयोगिता सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यकलापों के समन्वय हेतु एक प्रक्रिया और समयसीमा निर्धारित करना;

(v) सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एक सामान्य एकीकृत पोर्टल के विकास के संबंध में विभिन्न पहलों में एकरूपता लाना;

(vi) पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उद्देश्यों की प्राप्ति और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन तथा संबंधित मंत्रालयों की मांग पक्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित निर्देश जारी करना;

(vii) इस्पात, कोयला, उर्वरक आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अपेक्षाओँ के आधार पर थोक माल के कुशल परिवहन के संबंध में मांग पक्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यकलापों की जांच करना।

5. सचिव (परिवहन और लॉजिस्टिक्स आयोजना) के कार्यालय में प्रशासनिक इकाई सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी।

[फा. सं. एल-18012/29/2026/लॉजिस्टिक प्रभाग (ई-238385)]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2026

S.O. 6075(E).— In supersession to the Gazette Notification No. P-37022/3/2020-IC dated the 30th October, 2021 and in pursuance of the approval of the Government of India for setting up of a Special Purpose Vehicle namely, Integrated Transport and Logistics Authority (ITLA), the scope of the Empowered Group of Secretaries (EGoS) on PM GatiShakti National Master Plan is hereby expanded and the EGoS is reconstituted.

2. The revised composition of the EGoS is as under:

1.	Cabinet Secretary	Chairman
2.	Secretary, Transport and Logistics Planning	Member
3.	Chairman, Railway Board	Member
4.	Secretary, Ministry of Road Transport & Highways	Member
5.	Secretary, Ministry of Ports, Shipping & Waterways	Member
6.	Secretary, Ministry of Civil Aviation	Member
7.	Secretary, Department of Expenditure	Member
8.	Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
9.	Secretary, Department of Urban Development	Member
10.	Additional Secretary/ Joint Secretary in the Office of Secretary, Transport and Logistics Planning	Member Convenor

3. The Chairman may co-opt/invite any other officer(s)/expert(s) to the meeting of EGoS, as may be required.

4. The revised Terms of Reference (ToR) for the EGoS are as under:

(a) Relating to Integrated Transport and Logistics Authority (ITLA):

(i) Review progress in setting up of ITLA and implementation of integrated transport and logistics planning;

(ii) Approval of the National Transport Master Plan (NTMP) and changes/modifications thereof;

(iii) Issue necessary instructions for resolution of differences, if any, between Ministries and ITLA regarding recommendations of ITLA relating to NTMP and Sectoral Plans;

(iv) Issue clarifications or modifications, including in the structure and role of ITLA, for effective functioning of ITLA and for achieving the objectives of setting up of the ITLA;

(v) Approval of Memorandum of Association (MoA) and Articles of Association (AoA) of the ITLA.

(b) Relating to PM GatiShakti National Master Plan (PMGS NMP):

(i) Review and monitor implementation of the plan to ascertain the logistics efficiency accruing there from;

(ii) Adopt framework and norms for undertaking any amendments in the plan;

(iii) Coordinate changes in the projects already included in the plan, within the prescribed framework and norms;

(iv) Set out a procedure and a timeframe for synchronisation of various activities for construction of roads, rail, etc. along with all utility services in an area-based approach for development of infrastructure on pilot basis;

(v) Align various initiatives on development of a common integrated portal which serves the needs of all stakeholders;

(vi) Issue appropriate directions for achieving the objectives and for compliance to guiding principles of the PM GatiShakti NMP and in addressing demand side requirements of concerned Ministries;

(vii) Look into interventions required to meet the demand side, in efficiently transporting bulk goods based on requirements of various Ministries like Steel, Coal, Fertilizers etc.

5. The administrative unit in the office of Secretary (Transport and Logistics Planning) will function as Secretariat to the Empowered Group of Secretaries.

[F. No. L-18012/29/2026/Logistics Division (E-238385)]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA